Original Sent to Tandonji of Pollution

Chakery L-1

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ 1335/क्षे0का0/रेजीडेंसियल काम्पलेक्स/15 पंजीकृत

दिनांक 19/8/15

सेवा में,

श्री आनन्द गुप्ता,
मै0 रेजीडेंसियल काम्प्लेक्स,
121–ई, कृष्णा कुंज, श्याम नगर,
कानपुर।

कार्यस्थल–
मै0 रेजीडेंसियल काम्प्लेक्स,
एल–1, चकेरी,
जनपद–कानपुर।

विषय–**मै0 रेजीडेंसियल काम्प्लेक्स, एल–1, चकेरी, कानपुर में प्रस्तावित आवासीय परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपका आवेदन पत्र निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत आन लाइन दिनॉक 17.08.15 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ निम्न बिन्दुओं पर वॉछित सूचनाएँ नहीं दी गयी हैं–

1. आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.10 एवं 5 तथा 6 में सूचनाएँ अंकित नहीं की गयी हैं।
2. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की डिजाईन डिटेल (संख्या एवं क्षमता) तथा फीजिविलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है।
3. प्रस्तुत आवेदन के साथ लेआउट प्लान जिसमें हरित पट्टिका, एस0टी0पी0, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जनरेटर कक्ष आदि का प्रस्तावित स्थान दर्शाया गया हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नाम से देय निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट तथा शुल्क के सत्यापन हेतु प्रस्तावित परियोजना की लागत का प्रमाण पत्र, जिसको सी0ए0 द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
5. घरेलू जल–मल उत्प्रवाह के शुद्धीकरण संयन्त्र के उपरान्त शुद्धीकृत उत्प्रवाह को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित योजना तथा अवशेष शुद्धीकृत उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति।
6. एस0टी0पी0 के अनवरत संचालन हेतु जनरेटर की स्थापना के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करें।
7. परियोजना में विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित जनरेटर के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण तथा उत्सर्जन हेतु प्रस्तावित चिमनी आदि का विवरण तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण हेतु विवरण प्रस्तुत करें।
8. निर्माण अवधि में परिवेशीय वायु गुणता मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था का प्राविधान तथा निकलने वाले घरेलू उत्प्रवाह एवं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आदि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेन्ट, ट्रांसपोर्टेशन आदि हेतु प्रस्ताव नहीं दिया गया है। उक्त हेतु एम0एस0डब्लू0 रूल के अनुपालन की दृष्टि से पूर्ण प्रस्ताव वॉछित है। उक्त हेतु वॉछित मशीन आदि का पूर्ण विवरण भूमि के क्षेत्रफल तथा व्यय सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। परिसर में ही कम्पोस्टिंग किये जाने का प्रस्ताव एवं लोकेशन दर्शायें।

कृ0पृ0उ0.............

10. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचित अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनाँक 14.09.06 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः उपरोक्त वाँछित सूचनाएँ जल एवं वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बेल्ट आदि में होने वाले व्यय सहित कानपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत मानचित्रों तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से प्राप्त अनुमति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर समस्त सूचनाओं सहित बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करते हुए कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा सूचनाओं के अभाव में पत्रावली पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से बिना बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थल विकास पर किये गये व्यय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय परियोजना के स्वामी का होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर को दिनाँक 18.08.15 में तकनीकि समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य नगर नियोजक, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु वाँछित सूचनाओं एवं प्रपत्रों सहित आवेदन किये जाने हेतु सूचित करने का कष्ट करें, जिससे कि आवेदन पत्र पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

[illegible]

[illegible]@gmail.com